न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

73

समक्ष : एम.गोपाल रेड्डी,
प्रशासकीय सदस्य

निगरानी 4062–एक/16 विरुद्ध आदेश दिनांक 11.11.2016 पारित द्वारा नायब तहसीलदार सिरोंज जिला विदिशा प्रकरण कमांक 4/अ–70/2015–16

लाखन सिंह पुत्र श्री निरपत सिंह बघेल
निवासी ग्राम रजाखेडी तहसील सिरोंज
जिला विदिशा म0प्र0 .....**आवेदक**

विरुद्ध

भैरो सिंह पुत्र अनंत सिंह बघेल
निवासी ग्राम रजाखेडी तहसील सिरोंज
जिला विदिशा (म.प्र.) .....**अनावेदक**

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री विनोद श्रीवास्तव
अनावेदक की ओर से अधिवक्ता श्री आर.डी. शर्मा

आदेश

(आज दिनांक 16/1/18 **को पारित)**

यह निगरानी नायब तहसीलदार सिरोंज जिला विदिशा के प्रकरण कमांक 4/अ–70/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 11.11.2016 के विरुद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 15.06.2016 को आवेदन प्रस्तुत किया गया कि उसके द्वारा

दिनांक 15.12.2015 को सीमांकन कराया था, जिसमें आवेदक लखन सिंह का 0.030 हे. भूमि पर अवैध कब्जा पाया गया था। आवेदक द्वारा कब्जा हटाने से इंकार कर दिया गया है। आवेदन में उसके द्वारा आवेदक द्वारा किए गए अवैध कब्जे को हटाने का अनुरोध किया गया। उक्त आवेदन पर से नायब तहसीलदार ने प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रकरण में कार्यवाही प्रारंभ की। कार्यवाही के दौरान आवेदक द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर प्रकरण निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया। आलोच्य आदेश द्वारा तहसीलदार ने प्रकरण को निरस्त किया जाना उचित न मानते हुए प्रकरण साक्ष्य हेतु नियत किया गया है। नायब तहसीलदार के इस आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है।

3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिया गया है कि सीमांकन कार्यवाही अंतिम नहीं हुई है। जब तक सीमांकन नहीं हो जाता तब तक धारा 250 की कार्यवाही नहीं की जा सकती है।

यह भी तर्क दिया गया कि आवेदक द्वारा अनावेदक की किसी भूमि पर कब्जा नहीं किया गया है। सीमांकन की कार्यवाही में उसे कोई सूचना नहीं दी गई है।

यह भी कहा गया कि सीमांकन रिपोर्ट भी अभी अंतिम नहीं दी गई है और ना ही सीमांकन रिपोर्ट के आधार पर आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

4/ अनावेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि धारा 250 के लिए यह आवश्यक नहीं है कि सीमांकन होने के उपरांत ही संहिता की धारा 250 की कार्यवाही हो सकती है। सीमांकन न करने पर अनावेदक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत की गई। जिसमें उच्च न्यायालय ने कलेक्टर को निर्देश दिए। आवेदक द्वारा उच्च न्यायालय में ही रिव्यु आवेदन दिया जो निरस्त हुआ। यह भी कहा गया कि सीमांकन का ऑब्जेक्ट यह है कि यह जानकारी में आ जाए कि कितने रकवे पर पड़ोसी ने अतिक्रमण कर लिया है। अधीनस्थ न्यायालय ने कोई आदेश पारित नहीं किया है। उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि अनावेदक द्वारा

प्रस्तुत आवेदन पर राजस्व निरीक्षक द्वारा किए गए सीमांकन की पुष्टि नायब तहसीलदार सिरोंज द्वारा दिनांक 17.04.2017 को की जा चुकी है। उक्त आधारों पर उनके द्वारा निगरानी निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया है।

5/ उभयपक्षों के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को देखने से स्पष्ट होता है कि उन्होंने आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन को निरस्त करने के जो आधार दिए हैं वे पूर्णतया न्यायिक एवं विधिसम्मत हैं । उनके द्वारा निकाला गया निष्कर्ष कि राजस्व निरीक्षक के सीमांकन प्रतिवेदन व पंचनामा के आधार पर 250 की कार्यवाही प्रारंभ करने में कोई समस्या नहीं है, उचित एवं न्यायिक है । उन्होंने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि जब तक सीमांकन का प्रकरण अंतिम नहीं हो जाता तब तक वे संहिता की धारा 250 के प्रकरण में किसी अंतिम निष्कर्ष तक नहीं पहुंचेंगे। अनावेदक अधिवक्ता द्वारा इस न्यायालय के समक्ष तहसीलदार के सीमांकन प्रकरण 44/अ–12/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 17.04.2017 की प्रमाणित प्रति की फोटोप्रति प्रस्तुत की गई है, जिससे स्पष्ट होता है कि तहसीलदार द्वारा राजस्व निरीक्षक द्वारा किये गए सीमांकन को स्वीकार किया जाकर प्रकरण समाप्त किया गया है। दर्शित परिस्थिति में यह पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो कार्यवाही की जा रही है, उसमें हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी आधारहीन होने से निरस्त की जाती है ।

(एम. गोपाल रेड्डी)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर